पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-195
दिनांक-20.01.2025

श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निर्देश के क्रम में तथा श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री अमित कुमावत के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ श्री रजनीश वर्मा के नेतृत्व में व प्रशिक्षु सहायक पुलिस आयुक्त श्री ऋषभ यादव व थानाध्यक्ष श्री अनुज कुमार तिवारी द्वारा थाना क्षेत्र निगोहाँ के अन्तर्गत ग्राम नटौली में चौपाल लगाया गया जिसमें गाँव के लोग मौजूद रहे। जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना। जनता व पुलिस के सम्बन्ध व विश्वास को सुदृढ़ करने हेतु श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर चर्चा व अनुपालन हेतु आग्रह किया गया।

समुदाय में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिये पुलिस चौपाल आवश्यक है यह नागरिकों को अपने समुदाय की समस्याओं को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रक्रिया समुदाय और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करती है।

1. ग्राम पंचायत नटौली में ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से ग्राम प्रधान के सहयोग से 32 सीसीटीवी कैमरे व मुख्य चौराहे पर पीएस सिस्टम लगवाये गये हैं। चौपाल में मौजूद लोगों को और अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु प्रेरित किया गया।
2. चौपाल में मौजूद लोगों से यह आग्रह किया गया कि जिस स्थान (कमरा आदि) में आप लोग सोते है उस स्थान (कमरा आदि) में ही अपना कीमती सामान रखने का प्रयास करें।
3. चौपाल में मौजूद लोगों से यह बताया गया है कि समाज में सुरक्षा को बनाये रखने के लिए पुलिस और जनता को बीच सहयोग आवश्यक है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए जिससे सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
4. चौपाल में मौजूद लोगों से यह बताया गया है कि राजस्व सम्बन्धी प्रकरणों को हल करने हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। आप लोग राजस्व सम्बन्धी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने हेतु तहसील दिवस में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते है।
5. चौपाल में मौजूद लोगों को सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीय जानकारी या यात्रा की जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने हेतु बताया गया।
6. चौपाल में मौजूद लोगों को यह बताया गया कि थाना स्थानीय पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार कि शिकायत व समस्या हो तो आप थाने पर आकर अपनी समस्या को बता सकते है जिससे आपकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके।
7. चौपाल में मौजूद लोगों को यह बताया गया है कि यदि आप किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि को देखते है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे, जिससे सही समय पर जानकारी प्राप्त होने पर अपराध को रोका जा सके।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-192
दिनांक-20.01.2025

जोन- पूर्वी/ थाना-आलमबाग

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 शातिर गाँजा तस्कर गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 1Kg अवैध गाँजा व 830/- रूपये नगद बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.01.2025 को उ0नि0 इसरार अहमद खां मय हमराही प्र0उ0नि0 अभिषेक द्विवेदी का0ना0पु0 सौरभ कुमार, का0ना0पु0 सुरेन्द्र सिंह के साथ चौकी मवैया से प्रस्थान करके आर0पी0एफ0 कालोनी के पास संदिग्ध व्यक्ति एवं संदिग्ध व्यक्ति/ वस्तु की चेकिंग मे मसरूफ था कि तभी एक व्यक्ति तकिया मस्जिद की तरफ से आकर श्रम विहार नगर झोपड़पट्टी की तरफ तेज कदमों से जाने लगा कि शक होने पर हम पुलिस वालों द्वारा उक्त व्यक्ति को आर0पी0एफ0कालोनी के पास शिव मंदिर के पीछे रोक कर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रोहित रावत पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी हरचन्द्रपुर गढ़ी कनौरा सुभाष पार्षद के घर के पास गली मे थाना आलमबाग जनपद लखनऊ बताया दाहिने हाथ मे लिए एक अदद सफेद बोरी मे रखे वस्तु के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि इसमें गांजा है इसीलिए मै आप लोगों की नजर से बचकर जा रहा था। जिसके संबंध में वादी उ0नि0श्री इसरार अहमद खां की फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 16/2025 धारा 8/20 NDPS ACT थाना आलमबाग लखनऊ पंजीकृत कराया गया।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त रोहित रावत पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उपरोक्त द्वारा अवैध गाँजा की बिक्री कर पैसे कमाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.रोहित रावत पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 हरचन्द्रपुर गढ़ी कनौरा सुभाष पार्षद के घर के पास गली मे थाना आलमबाग जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास–

मु0अ0सं0 16/2025 धारा 8/20 NDPS Act थाना आलमबाग लखनऊ
मु0अ0सं0 149/2020 धारा 8/20 NDPS Act थाना आलमबाग लखनऊ

05-बरामदगी-

- 01 किलो ग्राम गाँजा
- जामा तलाशी से 830/- रुपये नगद, 01 अदद मोबाइल

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 इसरार अहमद खां थाना आलमबाग लखनऊ
2. उ0नि0प्रशि0 अभिषेक द्विवेदी थाना आलमबाग लखनऊ
3. का0 सौरभ कुमार थाना आलमबाग लखनऊ
4. का0 सुरेन्द्र सिंह थाना आलमबाग लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-194
दिनांक-20.01.2025

- **साइबर क्राइम सेल के द्वारा वादिनी के खाते से धोखाधड़ी करके ठगे गये धनराशि 03 लाख 25 हजार रूपये वापस कराये गये ।**
- **पीड़िता को टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराकर दुगना लाभ देने के नाम पर फ्राडस्टर ने की थी, कुल 04 लाख रूपये की ठगी ।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपराध में संलिप्त वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी व अपराध की रोक थाम के आदेश के क्रम में , श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कमिश्नरेट लखनऊ, पुलिस उपायुक्त (अपराध), अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के मार्गदर्शन में व सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम सेल के नेतृत्व में साईबर क्राइम सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादिनी से साइबर अपराधियो के द्वारा ठगे गये धनराशि 3,25,000/-रूपये को वादिनी के खाते में पुनः वापस कराया गया।

01-घटना का संक्षिप्त विवरण

वादिनी प्रियंका सिन्दे के द्वारा साइबर क्राइम सेल आकर दिनाँक 19/07/2024 अवगत कराया कि दिनाँक 19/07/2024 को टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराकर दुगना लाभ देने के नाम पर फ्राडस्टर ने वादिनी से खाते में कुल 4,00,000/- रुपये धोखाधड़ीपूर्वक निकाल लिये ।

02-साइबर सेल द्वारा की गयी कार्यवाही

वादिनी द्वारा अपने साथ हुये साईबर फ्रॉड के सम्बन्ध में साईबर क्राइम सेल में दिनाँक 19/07/2024 शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसकी संख्या 4647/2024 है। जिस पर प्रभारी निरी0 श्री आनन्द कुमार द्विवेदी के आदेश के क्रम में का शमशाद अली के द्वारा प्रार्थनापत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक/कम्पनियो से इलैक्ट्रानिक पत्राचार कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये धनराशि 3,25,000/- हजार रूपये पीडिता के खाते में वापस कराये गये ।

साइबर क्राइम सेल के द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के कारण वादिनी अपने रुपये वापस पाकर अत्यन्त प्रसन्न है, तथा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद प्रकट किया गया ।

03-अपील-

किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा कस्टमर सपोर्ट अधिकारी बताकर ओटीपी / यूपीआई पिन / सीवीवी आदि पूछे जाने पर कदापि ना बतायें।

04-धनवापस कराने वाली पुलिस टीम

1. निरीक्षक श्री आनन्द कुमार द्विवेदी, प्रभारी नि0 साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री शिशिर यादव, प्रभारी साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री सुमित चौधरी, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री राकेश मिश्रा, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
5. म0उ0नि0 श्रीमती आरती वर्मा, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
6. हे0 का0 शमशाद अली, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-191
दिनांक-20.01.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **02 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय श्रीमान सीजेएम महोदय जनपद लखनऊ द्वारा जारी गिरफ्तारी का अधिपत्र वाद सं0 83423/22 अ0सं0 974/21 धारा 294 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01-गया प्रसाद पुत्र छोटे लाल निवासी आदिल हुसैन सिद्दिकी का मकान लोधपुरवा थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष, 02-अजय मिश्रा पुत्र महेश प्रसाद निवासी निवासी आदिल हुसैन सिद्दिकी का मकान लोधपुरवा थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र 35 वर्ष को आज दिनांक 20.01.2025 को लोधपुरवा गोमतीनगर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. गया प्रसाद पुत्र छोटे लाल निवासी आदिल हुसैन सिद्दिकी का मकान लोधपुरवा थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष
2. अजय मिश्रा पुत्र महेश प्रसाद निवासी निवासी आदिल हुसैन सिद्दिकी का मकान लोधपुरवा थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र 35 वर्ष

03-सम्बन्धित अभियोग/वाद-

1. वाद सं0 83423/22 अ0सं0 974/21 धारा 294 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-श्री राजेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना गोमतीनगर लखनऊ

2- उ0नि0 श्री पवन कुमार

3- उ0नि0 श्री अन्तिम कुमार सिंह

4- उ0नि0 श्री विनीत कुमार

5- का0 विपिन कुमार